

UGC NET Paper 3 June 28, 2009 Shift 1 Law Question Paper

Signature and Name of Invigilator

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--

(In figures as per admission card)

1. (Signature) _____

(Name) _____

2. (Signature) _____

(Name) _____

Roll No. _____

(In words)

Test Booklet No.

J-5809**PAPER – III**

Time : 2½ hours]

LAW

[Maximum Marks : 200

Number of Pages in this Booklet : 40

Number of Questions in this Booklet : 26

Instructions for the Candidates

- Write your roll number in the space provided on the top of this page.
- Answers to short answer/essay type questions are to be given in the space provided below each question or after the questions in the Test Booklet itself.

No Additional Sheets are to be used.

- At the commencement of examination, the question booklet will be given to you. In the first 5 minutes, you are requested to open the booklet and compulsorily examine it as below :

(i) To have access to the Test Booklet, tear off the paper seal on the edge of this cover page. Do not accept a booklet without sticker-seal and do not accept an open booklet.

(ii) Tally the number of pages and number of questions in the booklet with the information printed on the cover page. Faulty booklets due to pages/questions missing or duplicate or not in serial order or any other discrepancy should be got replaced immediately by a correct booklet from the invigilator within the period of 5 minutes. Afterwards, neither the question booklet will be replaced nor any extra time will be given.

- Read instructions given inside carefully.
- One page is attached for Rough Work at the end of the booklet before the Evaluation Sheet.
- If you write your name or put any mark on any part of the Answer Sheet, except for the space allotted for the relevant entries, which may disclose your identity, you will render yourself liable to disqualification.
- You have to return the Test booklet to the invigilators at the end of the examination compulsorily and must not carry it with you outside the Examination Hall.
- Use only Blue/Black Ball point pen.
- Use of any calculator or log table etc. is prohibited.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

- पहले पृष्ठ के ऊपर नियत स्थान पर अपना रोल नम्बर लिखिए।
- लघु प्रश्न तथा निबंध प्रकार के प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक प्रश्न के नीचे या प्रश्नों के बाद में दिये हुये रिक्त स्थान पर ही लिखिये।

इसके लिए कोई अतिरिक्त कागज का उपयोग नहीं करना है।

- परीक्षा प्रारम्भ होने पर, प्रश्न-पुस्तिका आपको दे दी जायेगी। पहले पाँच मिनट आपको प्रश्न-पुस्तिका खोलने तथा उसकी निम्नलिखित जाँच के लिए दिये जायेंगे जिसकी जाँच आपको अवश्य करनी है :

(i) प्रश्न-पुस्तिका खोलने के लिए उसके कवर पेज पर लगी सील को फाड़ लें। खुली हुई या बिना स्टीकर-सील की पुस्तिका स्वीकार न करें।

(ii) कवर पृष्ठ पर छपे निर्देशानुसार प्रश्न-पुस्तिका के पृष्ठ तथा प्रश्नों की संख्या को अच्छी तरह चैक कर लें कि ये पूरे हैं। दोषपूर्ण पुस्तिका जिनमें पृष्ठ/प्रश्न कम हों या दुबारा आ गये हों या सीरियल में न हों अर्थात् किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण पुस्तिका स्वीकार न करें तथा उसी समय उसे लौटाकर उसके स्थान पर दूसरी सही प्रश्न-पुस्तिका ले लें। इसके लिए आपको पाँच मिनट दिये जायेंगे। उसके बाद न तो आपकी प्रश्न-पुस्तिका वापस ली जायेगी और न ही आपको अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

- अन्दर दिये गये निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- उत्तर-पुस्तिका के अन्त में कच्चा काम (Rough Work) करने के लिए मूल्यांकन शीट से पहले एक पृष्ठ दिया हुआ है।
- यदि आप उत्तर-पुस्तिका पर अपना नाम या ऐसा कोई भी निशान जिससे आपकी पहचान हो सके, किसी भी भाग पर दर्शाते या अंकित करते हैं तो परीक्षा के लिये अयोग्य घोषित कर दिये जायेंगे।
- आपको परीक्षा समाप्त होने पर उत्तर-पुस्तिका निरीक्षक महोदय को लौटाना आवश्यक है और इसे परीक्षा समाप्ति के बाद अपने साथ परीक्षा भवन से बाहर न लेकर जायें।
- केवल नीले/काले बाल प्वाइंट पेन का ही इस्तेमाल करें।
- किसी भी प्रकार का संगणक (कैलकुलेटर) या लाग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित है।

LAW

विधि

PAPER – III

प्रश्न-पत्र – III

NOTE: This paper is of two hundred (200) marks containing four (4) sections. Candidates are required to attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र दो सौ (200) अंकों का है एवं इसमें चार (4) खंड है। अभ्यर्थियों को इन में समाहित प्रश्नों का उत्तर अलग दिये गये विस्तृत निर्देशों के अनुसार देना है।

SECTION - I

खण्ड – I

Note : This section contains five (5) questions based on the following paragraph. Each question should be answered in about thirty (30) words and each carries five (5) marks.

(5x5=25 marks)

नोट : इस खंड में निम्नलिखित अनुच्छेद पर आधारित पाँच (5) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है। प्रत्येक प्रश्न पाँच (5) अंकों का है।

(5x5=25 अंक)

Extreme poverty impedes social and economic development and threatens the rule of law and social fabric of any society. If poverty is recognised as a violation of human “rights, it is possible that the Judiciary may be empowered to intervene, when situations of poverty are consequences of failures in governance. Active and sustained involvement of civil society is necessary for tackling any social problem, including poverty. If poverty is recognised as a human rights issue both domestic and international civil society would need to take an active part in promoting it as such, and in resisting any policy that loses sight of the need to constantly keep poverty in check. The human rights activism that is typically generated through the work of civil actors can be useful for the various departments of governments that engage in formulating and implementing policies relating to fighting poverty. A human rights approach creates an empowering dimension in the work of civil society in ensuring transparency of the government. Poverty recognised only as an economic and public policy issue invites official responses from government bodies. But the human rights aspects of the discussion will receive a wider community of responses. This empowering dimension of the human rights discourse is useful in sustaining poverty-free governance as a basic principle of administration.

When poverty is recognised as a human rights issue, it is possible to achieve political consensus on the ways and means of fighting it. Further it can ensure that objectivity is maintained in the implementation of policies relating to fighting poverty so that resource allocation and targetting of the areas and people who are suffering from extreme poverty is not based on any biases or prejudices. This is important as it is possible that the resources that are allocated to fight poverty may not reach the true and deserving beneficiaries, because of corruption or other abuse of power. To avoid this problem the recognition of poverty as a human rights issue broadens the scope for engagement, and political consensus can be developed to ensure that violations are uniformly recognised, without any form of discrimination maintaining political consensus on issues relating to poverty can then in time result in the broader application of internationally developed good governance principles.

अति निर्धनता सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधा पहुँचाती है, और विधि के शासन व किसी समाज के सामाजिक ढाँचे को खतरा पहुँचाती है। यदि निर्धनता मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में मान्य की जाती है तो यह सम्भव है कि न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने के लिए सक्षमता दी जा सकती है, जबकि निर्धनता की परिस्थितियाँ प्रशासन की असफलता का परिणाम हैं। निर्धनता सहित किसी भी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए नागरिक समाज की सक्रिय एवं निरंतर सहभागिता आवश्यक है। यदि निर्धनता मानवाधिकार के विषय

के रूप में स्वीकार की जाती है तो घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक समाज को इस दृष्टिकोण को मान्यता दिलाने में एक सक्रिय भूमिका और निर्धनता के निरन्तर नियंत्रण की आवश्यकता की अनदेखी करने वाली किसी भी नीति का प्रतिरोध करना होगा। नागरिक कार्यकर्ताओं के द्वारा विकसित मानवाधिकार सक्रियता सरकार के उन विभागों के लिए उपयोगी हो सकती है जो निर्धनता के विरुद्ध युद्ध की नीतियां बनाने एवं उनके क्रियान्वयन में संलग्न हैं। मानवाधिकार वादी दृष्टिकोण सरकार में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक समाज की कार्य सूची में एक नवीन आयाम निर्मित करता है। यदि निर्धनता केवल एक आर्थिक एवं लोक नीति का विषय है तो यह सरकारी संस्थाओं से शासकीय प्रकृति के प्रति उत्तरों की मांग करती है। परन्तु निर्धनता का मानवाधिकार वादी आयाम वृहन्तर प्रति उत्तरों को प्राप्त करेगा। मानवाधिकार वादी दृष्टिकोण को यह सक्षमता प्रदान करेगी आयाम, निर्धनता से मुक्त शासन को प्रशासन के एक मूल सिद्धांत के रूप में बनाए रखने में उपयोगी है।

जब निर्धनता मानवाधिकार के विषय के रूप में स्वीकार की जाती है, तो इसके विरुद्ध युद्ध के तौर तरीकों पर राजनैतिक मतैक्य प्राप्त करना सम्भव होता है। इसके अतिरिक्त इससे निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई की नीतियों में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में वस्तुनिष्ठता को सुनिश्चित किया जा सकता है। जिससे की संसाधन आबंटन एवं अति निर्धनता से पीड़ित व्यक्तियों व क्षेत्रों का चुनाव, पूर्वाग्रह व पक्षपात पर आधारित ना हो। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह सम्भव है कि निर्धनता के विरुद्ध लड़ाई हेतु आवंटित संसाधन, भ्रष्टाचार व शक्ति के अन्य दुरुपयोगों के कारण वास्तविक एवं योग्य लाभग्राहियों तक न पहुंच पाए। इस समस्या से बचने के लिए, मानवाधिकारों के विषय के रूप में निर्धनता की मान्यता, निर्धनता कार्यक्रमों के क्षेत्र विस्तार को विस्तृत करती है, और बिना किसी भेदभाव के उल्लंघनों के सम्बन्ध में राजनैतिक मतैक्य के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। निर्धनता से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक मतैक्य के बने रहने की परिणति भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित सुशासन के सिद्धान्तों के वृहत्तर क्रियान्वयन में हो सकती है।

1. Under what circumstances, failure in governance create situations of poverty in the society ?

किन परिस्थितियों में शासन की विफलता समाज में निर्धनता की स्थिति उत्पन्न करती है?

2. Whether poverty could be recognised as a human rights issue ? Support your answer.

क्या निर्धनता को एक मानवाधिकार विवादक की मान्यता दी जा सकती है ? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।

3. What is human right activism ?

मानवाधिकार सक्रियता क्या है ?

- उन कारणों को बतलाइये जिनके कारण निर्धनता से लड़ने के लिए आवंटित सम्पदा, अधिकतर स्थितियों में योग्य हिताधिकारी तक नहीं पहुँच पाती?

- भारत जैसे एक विकास शील देश में विभिन्न मानवाधिकारों का प्रभावीकरण किस प्रकार से हो सकता है?

SECTION - II

खण्ड – II

Note : This section contains fifteen (15) questions, each to be answered in about thirty (30) words. Each question carries five (5) marks.

(5x15=75 marks)

नोट : इस खंड में पाँच-पाँच (5-5) अंकों के पंद्रह (15) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग तीस (30) शब्दों में अपेक्षित है।

(5x15=75 अंक)

6. “The law declared by the Supreme court of India shall be binding on all courts within the territory of India”. Discuss.

“उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य क्षेत्र के अधीन सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी।”
विवेचना कीजिए।

7. “What is prohibited is hostile discrimination and not reasonable classification”.
Comment.

“प्रतिकूल विभेद प्रतिषिद्ध है न कि उचित वर्गीकरण” ? टिप्पणी कीजिए।

8. Is the purpose of Lokpal is to adjudicate ?

क्या लोकपाल का उद्देश्य न्याय-निर्णय करना है ?

9. Write an essay on “positive morality”.

सकारात्मक नैतिकता पर एक निबंध लिखें।

10. Examine why law has failed to achieve Social Control ?

इस बात का परीक्षण कीजिए कि सामाजिक नियंत्रण को प्राप्त करने में विधि क्यों असफल रहा है?

11. Explain the principle of Joint liability on account of criminal acts done by several persons in furtherance of common intention.

सामान्य आशय की पूर्ति हेतु अनेक व्यक्तियों द्वारा किये गये आपराधिक कार्य के मामले में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए।

12. Is section 309 of Indian Penal Code is constitutional ?

क्या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 309 संवैधानिक है?

- पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए।

- अन्तर्राष्ट्रीय विधि के विकास में राज्येत्तर अभिकर्ता की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

15. Discuss the necessity and justification for mandatory registration of Marriage in India.

हिन्दुस्तान में विवाह पंजीकरण की आवश्यकता एवं औचित्य को समझाये।

16. "Polygamy" under Muslim Law is not a general rule but an exception". Discuss.

मुस्लिम विधि में बहु पत्नीत्व एक सामान्य नियम नहीं है वरन् मात्र एक अपवाद है। समझाये।

17. What are group rights ? How they are protected ?

समूह का अधिकार क्या है। वह किस तरह से संरक्षित है ?

18. Explain the valid defences to nuisance.

उत्पात से बचाव के वैधानिक तरीकों को स्पष्ट कीजिए।

19. Discuss legal role of directors particularly in context of statutory disclosures they are legally obliged to make.

कानूनी प्रकटीकरण के विशेष संदर्भ में निदेशक की वैधिक भूमिका को समझाइये जिन्हें करने के लिये वे वैधानिक रूप से दायित्वाधीन हैं।

20. Explain statutory right of transferee of a partner's interest.

भागीदार के हित के अन्तरिती के कानूनी अधिकारों को समझाइए।

SECTION - III

खण्ड – III

Note : This section contains five (5) questions from each of the electives / specialisations. The candidate has to choose only one elective / specialisation and answer all the five questions from it. Each question carries twelve (12) marks and is to be answered in about two hundred (200) words.
(12x5=60 marks)

नोट : इस खंड में प्रत्येक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता से पाँच (5) प्रश्न हैं। अभ्यर्थी को केवल एक ऐच्छिक इकाई/विशेषज्ञता को चुनकर उसी में से पाँचों प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न बारह (12) अंकों का है व उसका उत्तर लगभग दो सौ (200) शब्दों में अपेक्षित है।
(12x5=60 अंक)

Elective - I

विकल्प – I

21. "Distribution of legislative power's between the Union and the states has been heavily tilted in favour of the Union." Explain
परिसंघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की व्यवस्था का भारी भुकाव परिसंघ के पक्ष में है? समझाइए।
22. 'The reservation policy adopted in India in the last five and half decades has failed to promote Social Justice.' Critically examine this statement and suggest measures to protect the interest of socially, educationally and economically backward class of people.
भारत में विगत साढ़े पाँच दशकों से प्रचलित आरक्षण नीति सामाजिक न्याय की अभिवृद्धि करने में असफल रही है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों के संरक्षण के लिए उपायों के सुझाव दीजिए।
23. "The Supreme Court in Maneka Gandhi's case has revolutionised the law relating to personal liberty under Article 21 of the constitution ? Explain its new dimension.
उच्चतम न्यायालय ने मेनका गांधी के वाद में संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित विधि में क्रान्ति ला दी है। इसके नवोदित आयामों को बतलाइये।
24. "The doctrine of basic structure has established the Judicial supremacy in the area of constitutional amendment". Examine.
मूल ढाँचे के सिद्धान्त ने संविधानिक संशोधन के क्षेत्र में न्यायिक सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया है। परीक्षण कीजिए।

25. In the context of Judicial activism evaluate the contribution of the Supreme Court of India, with the help of decided cases.

निर्णीत वादों की सहायता से, न्यायिक सक्रियता के सन्दर्भ में, भारत के उच्चतम न्यायालय के योगदान का मूल्यांकन कीजिए।

OR / अथवा

Elective - II

विकल्प – II

21. 'Rule of Law' demands that law should be able to control numerous wide discretionary powers. Explain.

विधिका शासन की मांग है कि अनगिनत विस्तृत विवेकाधिकार को नियंत्रित करना चाहिये। स्पष्ट कीजिये।

22. "Though administrative discretion has a value of its own, but it is a ruthless master also". Discuss.

यद्यपि प्रशासनिक विवेक स्वयं में मूल्यवान है, यह निरदय स्वामी भी है विवेचना कीजिये।

23. "No one shall be a Judge in his own cause" Explain the statement with illustration.

कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। इस कथन को उदाहरणों की सहायता से समझाइये।

24. Express the purpose of the writ of certiorari.

उत्प्रेषण की याचिका के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिये।

25. Write about the composition and functions of Lokayukta in India.

भारत में लोकायुक्त के गठन एवं कार्यों के बारे में लिखिये।

OR / अथवा

Elective - III

विकल्प – III

21. "Law is related to Justice, reason, human nature and ethics" – Explain.

विधि का संबंध न्याय, तर्क, मानव प्रकृति तथा आचारशास्त्र से है, – व्याख्या कीजिए।

22. Define Law and morality and explain the relationship between them.

विधि तथा नैतिकता की परिभाषा दीजिए तथा इनके बीच संबंध की व्याख्या कीजिए।

23. Define and explain various kinds of ownership.
विभिन्न प्रकार के स्वामित्व को परिभाषित कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए
24. According to Kecton, 'Ratio decidendi of a decision is a principle of law formulated by the judge for the purpose of deciding the problem' - Discuss.
कीटन के अनुसार, निर्णय का विनिश्चय आधार समस्या के निश्चयन हेतु संबंधित न्यायाधीश द्वारा सूत्रबद्ध विधि का एक सिद्धांत है। विवेचन कीजिए।
25. Explain Hohfeld's classification of jural correlatives and jural opposites.
हॉफिल्ड द्वारा दिए गए विधिगत सहसंबंधियों तथा विधिगत विरोधियों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा

Elective - IV

विकल्प - IV

21. What is theft ? Immovable property when becomes subject of theft ? What is the difference between a 'theft in a dwelling 'house' and 'outside' ?
चोरी क्या है ? अचल सम्पत्ति कब चोरी की विषय वस्तु हो जाती है ? रिहायशी घर के अन्दर चोरी तथा बाहर चोरी में क्या अन्तर है ?
22. What is the role of 'mens rea' in the commission of crime ? Is it applicable under the Indian Penal Code ?
अपराध कारित करने में मेन्सरिया की क्या भूमिका है ? क्या यह भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत लागू है ?
23. Define the offence of 'Adultery' and 'Bigamy'. Are you in favour of any amendment in the definition of these offences or not ? Give answer with reasons.
'जारता' एवं द्विविवाह का अपराध की परिभाषा दीजिये। क्या आप इन अपराधों की परिभाषा में कोई संशोधन के समर्थक हैं अथवा नहीं ? कारण सहित उत्तर दीजिए।
24. "Mistake is not mere forgetfulness" Discuss mistake in the light of this statement and explain also the difference between mistake of fact and mistake of law.
"भूल (mistake) मात्र याददास्त की चूक नहीं है"।- इस कथन को ध्यान में रखते हुए भूल (mistake) को समझाइये तथा तथ्य की भूल और विधि की भूल के अन्तर को स्पष्ट कीजिये।
25. On what grounds a person is said to make a false document ? What offence does he commit thereby ? When does men's signature of his own name amount to forgery ?
किन कारणों से व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज का रचियता कहलायेगा ? ऐसा करने से वह कौन सा अपराध करता है ? क्या स्वयं के नाम पर हस्ताक्षर करना भी कूट रचना की कोटि में आ सकता है।

OR / अथवा

Elective - V**विकल्प – V**

21. Examine the salient features of the Environment (Protection) Act, 1986.
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की प्रमुख विशिष्टताओं का परीक्षण कीजिए।
22. What is the importance of 'Forests' and 'Wild life' in protecting environment.
पर्यावरण के संरक्षण में वनों तथा वन्य-जीवों के महत्व का उल्लेख कीजिए।
23. Elucidate the directions of the Supreme Court with regard to environmental education.
पर्यावरण शिक्षा के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
24. Examine the legislative and Judicial measures for management of Hazardous wastes.
परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रबंध के लिए विधायी एवं न्यायिक उपायों का परीक्षण कीजिए।
25. Explain economic perspective of environmental protection.
पर्यावरणीय संरक्षण के आर्थिक परिदृश्य की व्याख्या कीजिए।

OR / अथवा**Elective - VI****विकल्प – VI**

21. "The distinction between National law and International law is blurring gradually" - Explain.
राष्ट्रीय विधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि के बीच विभेद शनैः-शनैः कम होता जा रहा है। कथन का परीक्षण कीजिये।
22. "The traditional concept of sovereignty is no more relevant" - Comment.
प्रभुत्व की पारम्परिक अवधारणा आज के परिपेक्ष में सुसंगत नहीं है। टिप्पणी कीजिये।
23. Define ASYLUM. Distinguish between Asylum and extradition
शरण स्थान की परिभाषा दीजिये। शरण स्थान एवं प्रत्यर्पण के विभेद को समझाइये।
24. Examine the role of the General Assembly in the maintenance of International Peace and Security.
अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा को बनाये रखने में यू.एन. ओ. की आम सभा की भूमिका का परीक्षण कीजिये।
25. Evaluate the role of the WTO.
डब्ल्यू.टी.ओ. (WTO) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिये।

OR / अथवा

Elective - VII**विकल्प – VII**

21. Discuss the grounds on which marriages between Hindus are prohibited.
उन आधारों का वर्णन कीजिए जिनके कारण हिन्दू के बीच विवाह निषिद्ध है।
22. Discuss with the help of recent cases the Muslim divorced wife's right to maintenance under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act 1986.
मुस्लिम महिला (तलाक पर संरक्षण का अधिकार) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नवीनतम वादों की मदद से तलाक शुदा पत्नी के भरण-पोषण के अधिकार की व्याख्या कीजिए।
23. Discuss whether abortion by the wife without the consent of her husband is a ground for dissolution of marriage.
अगर पत्नी बिना पति की सहमति के गर्भपात कराती है तो क्या वह विवाह विच्छेद का आधार है। व्याख्या कीजिए।
24. Discuss the changing of concept of cruelty as a ground of matrimonial Remedies under Hindu law. Refer to recent cases.
निर्दयता शब्द की बदलती अवधारणा को हिन्दू विधि में वैवाहिक उपचार के आधार के रूप में समझाये। नवनिर्णित वादों को उद्धृत कीजिए।
25. Whether the Supreme Court of India can direct to Government of India to implement the Article 44 of the constitution? Refer to recent cases.
क्या भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत सरकार को यह निर्देश दे सकता है कि संविधान के 44 वें अनुच्छेद को लागू करे। नवनिर्णित वादों को उद्धृत कीजिए।

OR / अथवा**Elective - VIII****विकल्प – VIII**

21. Evaluate various International Conventions on Human Rights.
मानव अधिकारों के विभिन्न अभिसमयों का मूल्यांकन कीजिए।
22. Explain the concept of Socio-Economic rights enshrined under the Indian Constitution.
भारत के संविधान में उल्लिखित सामाजिक आर्थिक अधिकारों की अवधारणा का उल्लेख कीजिए।
23. Examine various measures taken globally to protect the right against torture.
यातना के विरुद्ध अधिकारों के संरक्षण के लिए विश्व में जो उपाय किये गए हैं, उनका परीक्षण कीजिए।

24. Critically evaluate the areas where Women's Human Rights are violated. Give a brief account of the role of Supreme Court of India in protecting women's right to dignity and privacy

उन क्षेत्रों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए जहाँ महिलाओं के मानवाधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। महिलाओं की गरिमा व निजता के अधिकार के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय के योगदान का संक्षिप्त विवरण दीजिए।

25. Are you satisfied with the teeth provided to the National Human Rights Commission in protecting the Human Rights in India?

भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को जो दन्त प्रदान किये गए हैं, उनसे क्या आप सतुष्ट हैं?

OR / अथवा

Elective - IX

विकल्प – IX

21. Does Tort law make a distinction between infringement of different kinds of rights? Give reasons for your answer?

क्या अपकृत्य विधि विभिन्न प्रकार के अधिकारों के हनन के बीच विभेद करती है? कारण सहित उत्तर दीजिये।

22. "Allocation of responsibilities and adjustment of losses is done to achieve a sense of fairness in determination of tortious liability". Comment

अपकृत्य दायित्व के उचित निर्धारण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही दायित्वों का आवंटन एवं हानि का समायोजन किया जाता है। टिप्पणी कीजिए।

23. Distinguish between Public and Private Nuisance?

लोक एवं नीति उत्पात में विभेद कीजिए।

24. Examine the basis of Strict Liability

कठोर दायित्व के आधारों का मूल्यांकन (परीक्षण) कीजिये।

25. Explain the need for a separate legal regime for consumer protection.

उपभोक्ता के संरक्षण के लिये अलग से विधिक भाग की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिये।

OR / अथवा

Elective - X**विकल्प – X**

21. Critically examine legal position of directors under S, 2(13) of the Companies Act, nominee directors, independent directors, Government directors and directors appointed by the court, in context of corporate governance.

निदेशकों (कंपनी ऐक्ट S.2(13)) नामित निदेशकों स्वाधीन निदेशकों, सरकारी निदेशकों तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त निदेशकों की विधिक स्थिति का समालोचनात्मक परीक्षण, निगमित अभिशासन के संदर्भ में, कीजिए।

22. Distinguish between sale and agreement to sale, explaining legal position of parties relating to sale, particularly in context of breach and remedies.

विक्रय कार्य से संबंधित पक्षों की विशेषतः शर्त-भंग तथा उपचार के संदर्भ में विधिक स्थिति की व्याख्या करते हुए, विक्रय तथा विक्रय हेतु करार के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

23. Critically appreciate concepts of property and agency under statutory provisions and judicial dicta relating to domain of law of partnership.

सम्पत्ति तथा अभिकरण की अवधारणा का समालोचनात्मक विवेचन भागीदारी अधिनियम के अध्याधीन विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों के अंतर्गत कीजिए।

24. Discuss object, scope and implication of doctrine of ultra vires applied to companies. Should India scrap the doctrine as England has done? Give reasons for your answer.

कंपनियों पर लागू होने वाले अधिकारातीत सिद्धांत के उद्देश्य, विषय विस्तार तथा निहितार्थ का विवेचन कीजिए। क्या भारत को इंग्लैंड की भाँति इस सिद्धांत को रद्द कर देना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।

25. Examine rights, liabilities and remedies of various persons under the negotiable instruments Act.

परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों के अधिकारों, दायित्वों तथा उपचारों का परीक्षण कीजिए।

Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers.

Lined area for writing answers.

Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers, featuring horizontal ruling lines across the page.



Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers, featuring horizontal ruling lines and a large, light blue diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

SECTION - IV

खण्ड—IV

Note : This section consists of one essay type question of forty (40) marks to be answered in about one thousand (1000) words on any of the following topics.

(40x1=40 marks)

नोट : इस खंड में एक चालीस (40) अंकों का निबन्धात्मक प्रश्न है जिसका उत्तर निम्नलिखित विषयों में से केवल एक पर, लगभग एक हजार (1000) शब्दों में अपेक्षित है।

(40x1=40 अंक)

26. Social engineering and the constitution of India.

सामाजिक अभियान्त्रिकी और भारत का संविधान

OR / अथवा

The need for democratisation of the United Nation.

संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातान्त्रिकरण की आवश्यकता

OR / अथवा

Lip Service of law to make companies socially responsible through good corporate governance

अच्छे निगमित शासन के जरिये कम्पनीयों को सामाजिक दायित्वाधीन बनाने में कानून जुबानी सेवा प्रदान कर रहा है।

OR / अथवा

Welfare and custody of child in divorce cases

तलाक के मामलों में शिशु की अभिरक्षा एवं कल्याण

OR / अथवा

Desirability or otherwise of decriminalising offences of Homosexuality, Attempt to commit suicide and consumption of Narcotic Drugs.

समलैंगिकता का अपराध, आत्महत्या करने का प्रयास एवं स्वापक औषधी का सेवन के अपराधों को अपराध रहित बनाने की वांछनीयता अथवा अन्यथा।

Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers, featuring horizontal ruling lines across the page.



Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers.

Lined area for writing, featuring horizontal lines and a large, faint, diagonal watermark reading "prepp Your Personal Exam Guide".

Lined area for writing answers, featuring horizontal ruling lines across the page.



FOR OFFICE USE ONLY							
Marks Obtained							
Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained	Question Number	Marks Obtained
1		26		51		76	
2		27		52		77	
3		28		53		78	
4		29		54		79	
5		30		55		80	
6		31		56		81	
7		32		57		82	
8		33		58		83	
9		34		59		84	
10		35		60		85	
11		36		61		86	
12		37		62		87	
13		38		63		88	
14		39		64		89	
15		40		65		90	
16		41		66		91	
17		42		67		92	
18		43		68		93	
19		44		69		94	
20		45		70		95	
21		46		71		96	
22		47		72		97	
23		48		73		98	
24		49		74		99	
25		50		75		100	

Total Marks Obtained (in words)
(in figures)
Signature & Name of the Coordinator
(Evaluation) Date